उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-3/2015/469/तीस-4-2015-8(23)/2013
लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2015

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 65 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सन् 1988 के उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन जारी परिवहन आयुक्त के पत्र संख्या-35(जी)एसटीए/2015, दिनांक 23 फरवरी,2015 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (अठारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (अठारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-124ख का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में, नियम 124ख में, खण्ड (चार) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप खण्ड (क) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उप खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड
(क) लाये जाने के समय ऐसा प्रत्येक वाहन बिल्कुल नया होना चाहिए।	(क) लाये जाने के समय 50 प्रतिशत वाहन बिल्कुल नये और 50 प्रतिशत वाहन परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

आज्ञा से,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-3/2015/469(1)/तीस-4-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 08 मई, 2015 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-3/2015/469(2)/तीस-4-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- विधायी अनुभाग-1
5- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 469/XXX-4-2015-8(23) /2013 dated May 08, 2015

Notification
No.3/2015/469/XXX-4-2015-8(23) /2013
Lucknow: Dated: May 08 , 2015

In exercise of the powers under section 65, of the Motor Vehicles, Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General clauses Act, 1897 (Act no 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 after considering the objections and suggestions received in pursuance of Transport Commissioner letter no.35(G)STA/2015 dated February23, 2015 issued under sub-section (1) of section 212 of the said Act of 1988:-

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (EIGHTEENTH AMENDMENT) RULES, 2015

Short title and commencement

1- (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2015

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule-124B

2- In the Uttar Pradesh Motor Vehicle Rules, 1998, in rule 124B, in clause (iv) for the existing sub-clause (a) setout in column-1 below the sub-clause as setout in column-2 shall be substituted namely:-

Column-1	Column-2
Existing sub-clause	Sub-clause as herby substituted
(a) every vehicle should be brand new at the time of induction.	(a) at the time of induction 50 percent vehicles shall be brand new and 50 percent vehicles should be such old vehicles as are not more old than the age limit fixed by the Transport Commissioner.

By order,

Kumar Arvind Singh Deo
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।